

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्या: 16

बुधवार, 28 मार्च, 2018/7 चैत्र, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय: 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर:

(I) तारांकित प्रश्न:

तारांकित प्रश्न संख्या: 272 से 277 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 278 से 328 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) अतारांकित प्रश्न:

अतारांकित प्रश्न संख्या: 41 से 53 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी:-

- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:एसटीई-बी(3)-1/2016 दिनांक 01.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.12.2017 को प्रकाशित।

(2) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री** ने सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 43वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति**, (वर्ष 2017-18) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी:-

- (i) समिति के **26वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 91वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेतर कार्रवाई विवरण** जोकि **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

- (ii) समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 96वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति के 135वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;
- (iv) समिति के 147वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 167वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है;
- (v) समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 170वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति के 152वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 196वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है; और

- (vii) समिति के 100वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 269वां कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है।
- (2) श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18) ने समिति का तृतीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही गतिविधियों पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय वन मंत्री ने श्री टहल सिंह, डोजर चालक, गांव भेडोंवाल, ग्राम पंचायत सेनवाला मुबारकपुर, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर तथा अघोरी बाबा, नाहन पर जंगली जानवरों द्वारा किए गए हमलों बारे वक्तव्य दिया।

12.25 PM

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान:

वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान:

मांग संख्या: 10-लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या: 10, लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त क्रमशः 33,08,06,03,000/- और 12,16,28,02,000/-रूपये की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्या: 10 पर सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, अनिरुद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, राम लाल ठाकुर, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, नन्द लाल, डाँ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, राकेश सिंघा, पवन कुमार काजल, लखविन्द्र सिंह राणा, विक्रमादित्य सिंह, आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से 8 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा की:-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री
2. श्री अनिरुद्ध सिंह
3. श्रीमती आशा कुमारी
4. श्री हर्षवर्धन चौहान

(सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे दोपहर के भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक स्थगित हुई)।

(सदन की बैठक भोजनावकाश के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे माननीय अध्यक्ष, डाँ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

"माननीय सदस्यों को आज एक कार्यक्रम के लिए निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ है जिसको केवल रिमाइंड करने के लिए मैं सूचित कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आज जलवायु परिवर्तन के बारे में एक कार्यशाला रखी है और इसमें काफी अच्छी संख्या में डिगनिटरीस आ रहे हैं जिसमें डा0 हर्ष कुमार भानवाला, अध्यक्ष(नाबार्ड) विशेष रूप से आ रहे हैं। इनके अलावा डा0 अनिल कुलकर्णी (भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूरु), प्रो0 ए0के0गोसाईं(भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली), डा0 आशीष चतुर्वेदी, निदेशक (जी0आई0जैड0 इंडिया, दिल्ली) और डा0 अजय कुमार माथुर, मुख्य निदेशक (द एनर्जी एण्ड रिसोर्सिस इनस्टिट्यूट, नई दिल्ली) से आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्विटजरलैंड

से अम्बेसेडर, डा0 एन्ड्रेयास बोम भी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इसलिए आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यथा सम्भव प्रयास करें। यह कार्यशाला 6.30 बजे (अपराह्न) पीटरहाफ में आयोजित होगी और उसके बाद डिनर का आयोजन भी है"।

मांग संख्या: 10 पर चर्चा जारी

5. श्री जगत सिंह नेगी
6. श्री राम लाल ठाकुर
7. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
8. श्री नन्द लाल
9. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
10. श्री राकेश सिंघा
11. श्री पवन कुमार काजल
12. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
13. श्री विक्रमादित्य सिंह
14. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
15. श्री राजेन्द्र राणा
16. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव वापिस हुए।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

सदन की बैठक सायं 5.00 बजे वीरवार, दिनांक 29 मार्च, 2018 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।